भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र
गड़सा, जिला–कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) –175141
Email: garsa_ntrs@yahoo.com
दूरभाष : 01902–272231 फैक्स नं. 272222

No. 7(29)M/84/Vol.IV/ **Dated : 21.02.2020**

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Annual Job contract work of maintaining and managing of Angora Rabbit Unit (about 300 rabbits)** at **ICAR-**ICAR-CSWRI, NTRS, Garsa Distt. Kullu (H.P.) 175141.

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET (SECTION)

Tender No.	7(29)M/84/Vol.IV/
Date and Time for issue/Publishing	21-02-2020, 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	22-02-2020, 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	23-02-2020, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	16-03-2020, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	17-03-2020, 3.00PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – 500/- Earnest money – 10000/- Security money – 5-10 % of contract amount
Bank detail	ICAR Unit NTRS, Garsa, H.P. payable at SBI Bhuntar
Address for Communication	Head, ICAR-CSWRI, NTRS, Garsa, Distt. Kullu, H.P. - 175141

1. The tender form/bidder document may be downloaded from the Website: http://www.cswri.res.in/regional_stations_northern_temperate_research_station_garsa.aspand https//eprocure.gov.in/eprocure/app. Online Submission of Bids only through Central public procurement portal (https://eprocure.gov.in/eprocure/app) is mandatory. Manual bids shall not be accepted. Tenderers/bidders are requested to visit the website: (https://eprocure.gov.in/eprocure/app) regularly. Any changes/modifications in the tender inquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

Head

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1. The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**
2. Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The interested Firms/Contractors are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft with 45 days validity prepared in favour of ICAR Unit NTRS, Garsa, H.P. payable at SBI Bhuntar may be addressed to the Head, ICAR-CSWRI, NTRS, Garsa, Distt. Kullu, H.P. - 175141 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
5. The interested Firms/Contractors are required to deposit (in original) **Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.10,000/-** in the form of Demand Draft/FDR with 60 days validity from any of the Nationalized Bank in favour of **ICAR Unit NTRS, Garsa, H.P. payable at SBI Bhuntar** may be addressed to the Head, ICAR-CSWRI, NTRS, Garsa, Distt. Kullu, H.P. - 175141 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
6. **The rates should be quoted per month basis (complete work)**
7. The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to **the Head, ICAR-CSWRI, NTRS, Garsa, Distt. Kullu, H.P. - 175141** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
8. Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, NTRS Garsa. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, NTRS Garsa then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Registration certificate of the firm under State/Central Govt. under Shop & Estt. Act. or any other act indicating date of inception.
2. Scanned copy of PAN card
3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is required showing his turnover less than Rs.20 Lac of his claim is to be sustained.
4. Scanned copy ESI and EPF Registration certificate
5. Scanned copy of D.D. of Tender Fee (except MSME)
6. Scanned copy of D.D. of E.M.D. (except MSME)
7. Scanned copy of acceptance letter
8. Scanned copy of non-blacklisting certificate
9. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S. No. 1 to 8 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Head

खरगोश ईकाई पर खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्य की नियम व शर्ते –

1. खरगोश ईकाई पर उपलब्ध खरगोशों की सख्ंया लगभग 300 है जो कि केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है।
2. अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता को खरगोशों की दिन–रात देखभाल करनी होगी।
3. खरगोश ईकाई के आस–पास आवारा जानवर नहीं होने चाहिए तथा ईकाई पर खरगोशों के अलावा अन्य कोई निजी जानवर नहीं रख सकेगें।
4. खरगोशों को सेक्टर पर दाना पानी एवं अन्य कार्य प्रभारी, खरगोश ईकाई के दिशा निर्देशानुसार करना होगा। दाना/घास केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
5. खरगोशों की देखभाल एवं रख–रखाव के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करना होगाः–
   (क) खरगोशों को टीका लगवाना, दवाई पिलाना, ड्रेसिंग करना व अन्य ईलाज के समय खरगोशों को पकड़ने में मदद करना, बिमार खरगोशों की देखभाल करना।
   (ख) खरगोंशों के प्रजनन कार्य के दौरान प्रसूता खरगोश की देख–रेख, खरगोश के बच्चों को दूध पिलाना एवं दाना–पानी/स्वच्छता एवं अन्य कार्यो की पूर्ण जिम्मेदारी से करने होंगे।
   (ग) मरे हुये खरगोशों की सूचना तुरन्त प्रभारी, खरगोश ईकाई को देनी होगी तथा उनके निर्देशों के अनुसार मरे हुयें खरगोशों को उठाकर पोस्टमार्टम (चीरफाड़) कार्य के लिये पशु स्वास्थ्य अनुभाग को भिजवाना होगा।
   (घ) शेड़ के अन्दर नियमित रूप से पिंजरों की सफाई करनाी होगी(सामान्यतः दिन में 4–5 बार), शैड और फर्श की सफाई (प्रतिदिन), पिंजरे तथा दाना और पानी के बर्तन प्रतिदिन साफ करना तथा अन्य सामान को सप्ताह में एक बार साफ करना, बिसक्रमण के लिये पिंजरों को जलाना (पाक्षिक),प्रतिदिन भण्डार अथवा खेत से दाना/ घास जानवर के लिये लाना तथा प्रभारी सेक्टर द्वारा सेक्टर से सम्बन्धित अन्य कार्य करना शामिल होगा तथा पिंजरों के अन्दर से बेकार चारे को निकालकर जलाना होगा। शेड़ के अन्दर की मिट्टी को समय–समय पर प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार बदलना होगा।
   (ड) ऊन कल्पन (शेयरिंग) के लिये अनुभवी व्यक्ति रखना होगा। ऊन कल्पन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निश्चित दिनों में करना होगा ।
   (च) अनुबन्धकर्ता को खरगोश शाला के अन्दर की तरफ की साफ–सफाई और बाहर लगे पेड़ पोधों की देखभाल करनी होगी। साथ ही खरगोशों को खिलाने हेतु हरा चारा काटकर लाना होगा और प्रभारी, के निर्देशानुसार खिलाना होगा।
   (छ) खरगोश ईकाई के अन्तर्गत सभी खरगोशों की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
6. अंगोरा खरगोशों की ऊन काटना, तोलना, ऊन का नमूना इक्टठा करने में तकनीकी अधिकारी की सहायता करना तथा ऊन को भण्डारण के लिए भण्डार में ले जाना, भण्डारण के समय ऊन को समय समय पर धूप लगाना तथा रसायन दवाई रखने में मदद करना आदि कार्य ठेकेदार को करने होंगे।

अनुबन्धकर्ता द्वारा उपरोक्त दर्षाये अनुसार कार्य नहीं करने पर निम्नानुसार कटौतियाँ की जावेगीः–

1. सेक्टर व सेक्टर पर उपलब्ध सभी बाड़ों की प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार प्रतिदिन सफाई नहीं करने पर 400/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
2. यदि अनुबन्धकर्ता अथवा उनका श्रमिक/प्रतिनिधि बिना पूर्व अनुमति के अपनी मर्जी से खरगोश को बेच देता है अथवा मांस उपयोग के लिय वध कर देता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त करते हुये खरगोश की किताबी कीमत का दस गुना तक हर्जाना वसूल किया जावेगा।
3. अनुबन्धकर्ता की असावधानी/ लापरवाही से जानवरों के खो जाने, जंगली जानवरों का शिकार होने, लापरवाही वश दुर्घटनात्मक आघात/ तथा मृत्यु होने व चोरी होने पर अनुबन्धकर्ता को जानवर का मुल्य, बुक वैल्यू के अनुसार भरना होगा । खरगोश से अबैध वच्चा/बच्चे होने पर हर्जाना भरना होगा । ऐसे खरगोश के बच्चों का मूल्य 6 से 12 सप्ताह के समतुल्य माना जाएगा । यह राशि घटना के 10 दिनों के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा यह राशि उस के बिल से काटी जाएगी। यदि इस प्रकार की घटना अनुबन्धकर्ता की बार–बार लापरवाही से होती है तो प्रभारी सेक्टर की संस्तुति पर हर्जाना की राशि बढाई जा सकती है।
4. प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार शेड की खुदाई नहीं की जाती है तो संबंधित प्रभारी शेड की खुदाई करवाएगा तथा खुदाई कार्य में लगने वाला खर्च अनुबन्धकर्ता से वसूला जावेगा।

अनुबंध की सामान्य नियम व शर्ते

1. अनुबन्ध की कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए देते हुए अनुबन्धकर्ता का कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में संबंधित प्रभारी की अनुशंसा से अनुबन्ध को वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।
2. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।
3. लगाये गये श्रमिक कम से कम बदले जावेगें। साथ ही श्रमिक बदलने से पूर्व सेक्टर प्रभारी/प्रतिनिधि से अनुमति लेनी होगी। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
4. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता अगर प्रक्षेत्र/सेक्टर के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर प्रभारी व प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी।
5. किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी।
6. अनुबन्धकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा केन्द्र के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
7. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सेक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा ।
8. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। केन्द्र द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा ।
9. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार अनुबन्धकर्ता के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी. एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
10. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह अनुबन्धकर्ता द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
11. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा।, श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
12. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
13. अनुबन्धकर्ता को श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
14. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार गड़सा कुल्लु होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा। जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
15. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। अनुबन्ध की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त केन्द्र/संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
16. केन्द्र/संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

<u>स्वीकारोक्ति पत्र</u>

क्र.सं.	विवरण	खरगोशों की अनुमानित संख्या
1.	**केन्द्र के अंगोरा खरगोशों की रात–दिन देख–रेख, पिंजरों व उनके आवासीय स्थान (शैड़ों) की सफाई तथा खरगोशों की सुरक्षा, इत्यादि कार्य का वार्षिक अनुबन्ध**	300

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर केन्द्र के अंगोरा शशक एकांश के अन्तर्गत अंगोरा खरगोशों की रात–दिन देख–रेख, पिंजरों व उनके आवासीय स्थान (शैड़ों) की सफाई तथा खरगोशों की सुरक्षा, इत्यादि से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में अनुबंध /जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि मैं प्रभारी, अंगोरा शशक एकांश या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध का कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/हिमाचल सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस केन्द्र से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का केन्द्र के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि

मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

बैंक खाता नं.

<u>NON BLACKLISTING CERTIFICATE</u>

(To be submitted on letterhead)

I/ We hereby certify that [Name of the company/ firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government/ public Undertaking/ Institute on any account.

I/ we also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any derails provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI- NTRS, Garsa may imposed any action as per NIT rules.

Date:

Place:

Name:

Business address:

Signature of bidder

Seal of bidder

Undertaking

(To be submitted on letterhead)

I/ We hereby certify that [Name of the company/ firm] our annually turnover is less 20.00 Lac . Hence, registration in GST is not applicable to us.

I/ we also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any derails provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI- NTRS, Garsa may imposed any action as per NIT rules.

Date:

Place:

Name:

Business address:

Signature of bidder

Seal of bidder